

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-31/2007-

/क०, पटना, दिनांक मई, 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री एन० के० भारती,
मेसर्स भारत इन्सेक्टीसाइड लि०,
205, जगतारणी टावर, जमाल रोड, पटना-01

विषय :-

कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति संख्या 139 दिनांक 01.09.2007 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजनों एवं सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) सर्वेलन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित स्वनिर्मित कीटनाशियों की विपणन हेतु पूर्व में निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या-139 दिनांक 01.09.2007 का विनिर्माण एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि 31.12.2016 तक के लिए नवीकृत किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Atrazine 50% WP	34	Imidacloprid 30.5% SC
2	Chlorpyriphos 20% EC	35	Imidacloprid 70% WS
3	DDVP 76% EC	36	Indoxacarb 14.5% SC
4	Cartap Hydrochloride 4% GR	37	Lambda cyhalothrin 2.5% EC
5	Cypermethrin 10% EC	38	Metsulfuron Methyl 20% WP
6	Cartap Hydrochloride 50% SP	39	Acetamiprid 20% SP
7	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP	40	Alphacypermethrin 10% SC
8	Cypermethrin 25% EC	41	2, 4-D Amine Salt 58% SL
9	Hexoxonazole 5% EC	42	Butachlor 50% EW
10	Imidacloprid 17.8% SL	43	Bifenthrin 2.5% EC
11	Monocrotophos 36% SL	44	Chlorpyriphos 2% RTU
12	Mancozeb 75% WP	45	Imazethapyr 10% SL
13	Metalaxyl 8%+Mancozeb 64% WP	46	Imidacloprid 48% FS
14	Pretilachlor 50% EC	47	Imidacloprid 70% WG
15	Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC	48	Lambda cyhalothrin 5% EC
16	Triazophos 40% EC	49	Metribuzin 70% WP
17	Glyphosate 41% SL	50	Metalaxyl 35% WS
18	2, 4-D Ethyl Ester 38% EC	51	Paraquat Dichloride 24% SL
19	Sulphur 80% WDG	52	Fipronil 0.3% GR
20	Captan 50% WP	53	Propargite 57% EC
21	Carbendazim 46.27% SC	54	Piroxofop-Propanyl (Clodinafop Propargyl 15% WP)
22	Fipronil 5% SC	55	Sulfosulfuron 75% WG
23	Chlorimuron Ethyl 25% WP	56	Temephos 50% EC
24	Fenoxaprop-P-Ethyl 9.3% EC	57	Thiophanate Methyl 70% WP
25	Validamycin 3% L	58	Triacntanol EW 0.1% min
26	Accephate 75% SP	59	Oxyfluorfen 23.5% EC
27	Alphamethrin 10% EC	60	Profenofos 50% EC
28	Ammonium Salt of Glyphosate 71%SG	61	Propiconazole 25% EC
29	Buprofezin 25% SC	62	Quinalphos 25% EC
30	Chlorpyriphos 50% EC	63	Tebuconazole 2% DS
31	Coper oxychloride 50% WP	64	Thiamethoxam 70% WS
32	Deltamethrin 2.5% WP	65	Tricyclazole 75% WP
33	Haxaconazole 5% SC	66	Chlorpyriphos 50%+Cypermethrin 5% EC

m

Q

2-उपरोक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:-मेसर्स भारत इन्सेक्टीसाइड लि0, H/O- श्री राजदेव प्रसाद, S/O- स्व0 परमेश्वर यादव, फ्लौट नं0-339, पटना मसौढ़ी रोड, बड़ी पहाड़ी, थाना-अगमकुआँ, पटना।

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

7-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता के अतिरिक्त राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं0-139 दिनांक 01.09.2007 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

2764

/क0, पटना, दिनांक 12 मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।